श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1083

सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक)

बाल श्रम

1083. डॉ. डी रवि कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2024 तक बाल श्रम के विभिन्न रूपों में लगे बच्चों की संख्या के बारे में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार नवीनतम आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त ब्यौरे की तुलना पिछले वर्षों से किस प्रकार की गई है, तथा विभिन्न क्षेत्रों में क्या रुझान देखे गए हैं;

(ग) बाल श्रमिकों के लिए प्रभावी प्रवर्तन मंच (पेंसिल) पोर्टल पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार बाल श्रमिकों के कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(घ) पुनर्वास कार्यक्रमों सहित सरकारी हस्तक्षेपों के माध्यम से पुनर्वासित किए गए बच्चों की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा उनकी प्रभावशीलता क्या है;

(ङ) जनवरी, 2023 से दिसंबर 2024 के बीच बाल श्रम में धकेले गए बच्चों की संख्या का ब्यौरा क्या है, तथा इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं, और

(च) क्या सरकार के पास बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए क्षमता निर्माण पहल करने की कोई योजना है और यदि हां, तो इन पहलों की समयसीमा, मॉड्यूल तथा ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): सरकार बाल श्रम के उन्मूलन एवं उनके पुनर्वास हेतु बहुआयामी योजना तैयार कर रही है, जिसके लिए सरकार ने व्यापक उपाय किए हैं, जिनमें वैधानिक उपाय, पुनर्वास कार्यनीति, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करना और सामान्य सामाजिक-आर्थिक विकास शामिल है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनिमयन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियम, 1988 तैयार किए हैं। इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम के प्रावधानों का उचित रूप से प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) और टास्क फोर्स का प्रावधान शामिल है। मंत्रालय ने बाल श्रम के उन्मूलन के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख हुए मॉडल राज्य कार्य योजना भी तैयार की है।

जारी..2/-

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का प्रकाशन 'क्राइम इन इंडिया' देश में बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत दर्ज मामलों की संख्या प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित आंकड़े वर्ष 2022 से संबंधित है। वर्ष 2018 से 2022 तक के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध- I** में दिया गया है।

बाल श्रम उन्मूलन के प्रभावी प्रवर्तन (पेंसिल) हेतु पोर्टल पर राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार रिपोर्ट किए गए बाल श्रमिकों के मामलों की संख्या **अनुबंध- II** में दी गई है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय बाल श्रमिकों के बचाव एवं पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम कार्यान्वित कर रहा था जिसके अंतर्गत 9-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को कार्य से मुक्त कराया जाता है, एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों (एसटीसी) में नामांकित किया जाता है और औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में शामिल किए जाने से पहले उन्हें समायोजी शिक्षा आदि प्रदान की जाती है। एनसीएलपी योजना को दिनांक 01.04.2021 से शिक्षा मंत्रालय की एक योजना, समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के साथ समाहित कर दिया गया है।

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के दौरान एनसीएलपी योजना के तहत काम से बचाए गए/हटाए गए, पुनर्वास किए गए और मुख्यधारा में लाए गए बच्चों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध III में दिया गया है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विभिन्न एजेंसियों और हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को रेखांकित करती है ताकि संस्थानों की क्षमताओं को बढ़ाया जा सके, प्रभावी ज्ञान प्रबंधन को सुविधाजनक बनाया जा सके और एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय और अभिसरण सुनिश्चित किया जा सके जो एक ऐसे संसूचित और उत्तरदायी इकोसिस्टम को बनाने में मदद करती है जो बच्चों और किशोरों के शोषण को रोकती है।

*** ****

अनुबंध-I

"बाल श्रम" के संबंध में डॉ. डी रवि कुमार द्वारा दिनांक 10.02.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1083 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत वर्ष 2018 से 2022 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018	2019	2020	2021	2022
1.	आंध्र प्रदेश	0	2	37	12	15
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	1	0	3
3.	असम	39	68	40	78	86
4.	बिहार	14	15	3	14	98
5.	छत्तीसगढ	0	2	0	0	0
6.	गुजरात	35	64	39	40	42
7.	हरियाणा	6	11	1	12	4
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	1	0	0
9.	झारखंड	17	18	27	5	6
10.	कर्नाटक	63	83	54	58	62
11.	केरल	3	2	0	3	0
12.	मध्य प्रदेश	3	4	1	5	0
13.	महाराष्ट्र	90	53	29	57	87
14.	मेघालय	0	2	0	0	0
15.	मिजोरम	0	0	0	0	1
16.	ओडिशा	0	0	0	6	0
17.	पंजाब	8	8	11	8	13
18.	राजस्थान	32	48	30	19	28
19.	तमिलनाडु	6	3	2	26	29
20.	तेलंगाना	125	314	147	224	175
21.	त्रिपुरा	0	0	1	0	0
22.	उत्तर प्रदेश	2	9	1	1	10
23.	उत्तराखंड	0	27	41	25	54
24.	पश्चिम बंगाल	5	7	3	2	0
25.	चंडीगढ़	0	0	1	7	2
26.	दादरा एवं नागर हवेली और दमन और दीव	0	2	0	0	0
27.	दिल्ली	15	30	6	11	36
	कुल	464	772	476	613	751

स्रोत: भारत में अपराध, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)

अनुबंध -II

"बाल श्रम" के संबंध में डॉ. डी रवि कुमार द्वारा दिनांक 10.02.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1083 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

बाल श्रम उन्मूलन हेतु प्रभावी प्रवर्तन (पेंसिल) पोर्टल पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूचित किए गए बाल श्रमिकों के मामलों पर शिकायतों की संख्या का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	शिकायतों की संख्या
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0
2.	आंध्र प्रदेश	112
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	असम	56
5.	बिहार	359
6.	चंडीगढ़	9
7.	छतीसगढ	17
8.	दादरा और नगर हवेली	0
9.	दमन और दीव	0
10.	दिल्ली	256
11.	गोवा	0
12.	गुजरात	97
13.	हरियाणा	96
14.	हिमाचल प्रदेश	10
15.	जम्मू और कश्मीर	28
16.	झारखंड	69
17.	कर्नाटक	138
18.	केरल	13
19.	लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	267
21.	महाराष्ट्र	173
22.	मणिपुर	0
23.	मेघालय	2
24.	मिजोरम	0
25.	नागालैंड	0
26.	ओडिशा	130
27.	पुदुचेरी	2
28.	पंजाब	102
29.	राजस्थान	401
30.	सिक्किम	0
31.	तमिलनाडु	175
32.	तेलंगाना	123
33.	त्रिपुरा	0
34.	उत्तराखंड	48
35.	उत्तर प्रदेश	1832
36.	पश्चिम बंगाल	0
	कुल	4515

स्रोत: पेंसिल पोर्टल, श्रम और रोजगार मंत्रालय

अनुबंध -III

"बाल श्रम" के संबंध में डॉ. डी रवि कुमार द्वारा दिनांक 10.02.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1083 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान एनसीएलपी योजना के तहत काम से बचाए गए/हटाए गए, पुनर्वास और मुख्यधारा में लाए गए बच्चों की संख्या।

क्र.सं.	राज्य	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	आंध्र प्रदेश	778	1049	622	2090	441
2.	असम	4562	6175	2800	0	1291
3.	गुजरात	101	341	531	50	0
4.	हरियाणा	171	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	झारखंड	1225	2940	3239	755	410
6.	कर्नाटक	763	363	275	230	0
7.	मध्य प्रदेश	4910	4010	29179	1268	172
8.	महाराष्ट्र	8122	9337	2031	2537	337
9.	ओडिशा	लागू नहीं	6	495	76	1415
10.	पंजाब	915	483	1307	986	2504
11.	राजस्थान	लागू नहीं	1712	लागू नहीं	301	18
12.	तमिलनाडु	2534	3928	1456	2183	2628
13.	तेलंगाना	935	214	300	618	935
14.	उत्तर प्रदेश	8020	10371	9383	1833	339
15.	पश्चिम बंगाल	17137	13879	6671	5207	3270
16.	उत्तराखंड	लागू नहीं	62	लागू नहीं	3	1
17.	नागालैंड	111	24	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल	50,284	54,894	58,289	18137	13761

एनए: लागू नहीं स्रोत: श्रम और रोजगार मंत्रालय

****